Report of the Joint Committee constituted in the matter of OA No. 378/2023, Harsh Chouhan Versus State of Haryana & Ors.

1. Background:

In the matter of OA No. 378/2023, Harsh Chouhan Versus State of Haryana & Ors, wherein a grievance has been made that large numbers of trees illegally cut by using JCB and heavy machines during the course of illegal mining by several miscreants into the Khasra No. 156 & 166 in Morni area on the land belongs to Forest Department etc.

Hon'ble National Green Tribunal vides order dated 30.05.2023 observed and directed as follows:

> *"From the allegations made in the complaint, in our view, a substantial question relating to environment due to implementation of Scheduled Enactments under NGT Act, 2010 has arisen. However, before taking any further action in the matter we find it appropriate to obtain a factual report for the purpose whereof we constitute a Joint Committee comprising State PCB, District Forest Officer, Panchkula, District Magistrate, Panchkula and Director, Mining and Geology, Haryana"*
> *"State PCB shall be the nodal agency for coordination and compliance of this order"*

In compliance of the directions of Hon'ble National Green Tribunal, the joint committee held its 1st meeting with the committee members on 21.08.2023 to collect relevant information and verify the factual position regarding large numbers of trees illegally cut by using JCB and heavy machines during the course of illegal mining by several miscreants into the Khasra No. 156 & 166 as mentioned in the compliant **(Annexure-R-1)**.

During the first meeting, the followings directions were issued to the concerned authorities:

a) Visit the site and verify actual facts on ground.
b) Forest Department, Panchkula will inquire that whether any compliant was received by the department during the period as mentioned in the compliant regarding illegally cutting of trees in the Morni area and what action was taken by the Forest Department, Panchkula on that compliant, if any.
c) Mining Department, Panchkula should verify/investigate whether illegal mining has taken place by breaking the mountains as alleged by the complainant in the above mentioned O.A and the mining department will

investigate that whether any FIR/Complaint has been filed regarding illegal mining during the period as mentioned in the above said OA.

d) PWD, Panchkula will inquire and submit report whether any encroachment has been done on the land belongs to the PWD, Panchkula near the morni road adjoining the land in question in the above said O.A.

e) Naib Tehsildar, Morni, Panchkula will verify the record regarding ownership of khasra no. 156 & 166.

2. Site visit report of the Sub Committee :

i) The Sub Committee visited the site on 22/09/2023 **(Annexure-R-2)**.

ii) During the site visit it was found that the land as mentioned in the compliant, has been levelled and no evidence of illegal mining and cutting of trees has been found as mentioned in the compliant. Further, the land has been fenced and a gate also has been installed.

3. Submission of the Joint Committee:

i. The Forest Department, Morni, Panchkula vide report dated 26.09.2023 submitted to the Joint Committee that Khasra no. 166 is not registered in the revenue records. The land (khasra no. 156) whose photographs are shown in the compliant is the private land of Shri Kuljinder Mohan and has been occupied by Kuljinder Mohan by installing wire pillars and gate in the year 2018. Further, as alleged by the complainant in the above said O.A regarding illegal mining and cutting of trees, the Kuljinder Mohan level the area of his personal land at his personal level in which small bushes and lantana were buried. There were no big trees at that place and whatever big tree was there is still standing on the spot. Further there has been no illegal mining and cutting of trees done by Kuljinder Mohan on his personal land.

The Forest Department again submitted report dated 29.09.2023 that apart from this, complaints have also been received from Shri Anand Rawal regarding land Khasra no. 156 & 166 in Bhoj Jabyal related to above mentioned O.A in which CMOFF/N/2018/029010 was investigated by Shri Ved Prakash, the then Additional Forest Divisional Officer, Morni-Pinjore. In the said investigation, it was concluded that Khasra No.166 is owned (मलकीयत) by the Forest Department which is adjacent to Tikkar Tall Road, whereas the land of khasra no. 156 is Kisam kheel (किस्म खील), and the presence of exiting houses shows that the land of khasra no. 156 is situated approximately 92 feet away from

the road. The allegations made by the complainant in the said complaint are confirmed as reported by the then ADFO.

Apart from this, the investigation of CM Window CMOFF/N/2019/029619 was done by Shri Surjbhan, the then Divional Forest Officer, Yamunagar in which the investigating officer suggested that Khasra no. 156 & 166 should be re-marked (निशानदेही).

Further, the Naib Tehsildar in his letter no. 480-481-dated 25.09.2023 sent a report to the Forest Department that Khasra no. 166 is not registered in the record Jamabandi year 2021-22 Bhoj Jabyal Bas, Morni. The report dated 26.09.2023 and 29.09.2023 of Forest Department is attached as **Annexure-R-3.**

ii. That the Mining and Geology Department, Panchkula vide report dated 27.09.2023 submitted that during inspection dated 22.09.2023, no illegal mining has been found on the site as complainant alleged in the compliant and MO Panchkula also told that as per office record no compliant was sent by the, then MO, of District-Panchkula regarding illegal mining concerned with this site **(Annexure-R-4).**

iii. Further the Naib Tehsildar, Morni, Panchkula vide report dated 26.09.2023 submitted to the Joint Committee that according to the revenue record Jamabandi year 2021-2022 in Bhoj Jabyal Bas Morni, Khasra no. 166 is not registered. Further, the Khasra no. 166 was registered till Khasra Girdawari crop Sawani 2020, but after that, on receiving the order (आमदा) of Collector, Panchkula dated 01.09.2020, letter no. 2317-23, s.k dated 07.09.2020, the Khasra no. 166 in Bhoj Jabyal Bas Morni baruve (बरूवै) report Roznamcha vakyati (वाक्याती) no. 25 dated 16.09.2020 has been canceled from the Girdawari Register and this Khasra no.166 also not registered in masavi and aks sijra (मसावी और अक्स सिजरा).

Further, according to the Revenue record Jamabandi year 2021-22 in Khewat No. 120 in Bhoj Jabyal, the Khasra no.156 is the owner's own private land **(Annexure-R-5).**

iv. The PWD, Panchkula vide report dated 28.09.2023 submitted that during inspection no encroachment has been made on PWD road **(Annexure-R-6).**

The above joint reply of the Committee is being submitted in the matter of OA No. 378 of 2023; Harsh Chauhan vs. State of Haryana and Ors. for consideration by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi.

Regional Officer,
Panchkula Region

District Forest Officer,
Panchkula
Divisional Forest Officer
Morni-Pinjore Forest Division
Pinjore (Panchkula)

Deputy Commissioner,
Panchkula

Date: 03/10/2023

Minutes of 1th meeting held on 21.08.2023 at 11:00 AM under the Chairmanship of Smt. Mamta Sharma, SDM, Panchkula with Members of Joint Committee regarding large numbers of trees illegally cut by using JCB and heavy machines during the course of illegal mining by several miscreants into the Khasra No. 156 & 166 in Morni area on the land belongs to Forest Department etc. in the matter of OA No. 378 of 2023 Harsh Chouhan V/s State of Haryana.

At the outset, Sh. Sudhir Mohan, Regional Officer, HSPCB, Panchkula welcomes the all participants on behalf of Chairman of Committee.

It was 1th meeting of Joint Committee held on 21.08.2023 under the chairmanship of Sub-Divisional Magistrate, Panchkula comprising members of Haryana State Pollution Control Board, Mining Department, Forest Department, & PWD, Panchkula Haryana to collect relevant information and verify the factual position regarding large numbers of trees illegally cut by using JCB and heavy machines during the course of illegal mining by several miscreants into the Khasra No. 156 & 166 in Morni area on the land belongs to Forest Department and take appropriate remedial action by the concerned departments in compliance of directions of Hon'ble NGT in the above said O.A.

Following officers attended the meeting.

i. Dr. Rajesh Kumar, Mining Officer, Mining Department, Panchkula on behalf of Director Mining and Geology Department, Haryana.
ii. Sudhir Mohan, Regional Officer, HSPCB, Panchkula.
iii. Anita, ADFO, Forest Department, Panchkula.
iv. Anil Kamboj, SDE, PWD, Panchkula.
v. Pankaj, Mining Department, Panchkula.

Sh. Sudhir Mohan, Regional Officer, Panchkula brief the above-mentioned case to the worthy Sub-Divisional Magistrate Smt. Mamta Sharma and to all committee members that an O.A is filled by Harsh Chouhan as mentioned above. Regional Officer, Panchkula informed the committee that as facts described in the complaint that the land belongs to the Forest Department, Panchkula and on that land large number of trees illegally cut by using heavy machinery during the course of illegal mining, which needs to be verified by the concerned authorities.

After elaborate discussion, following directions were issued by worthy Sub-Divisional Magistrate, Panchkula: -

1. The Joint Committee will visit the site within 15 days and concern department will verify the compliant and submit the detailed report alongwith relevant documents within 15 days. Further, Forest Department, Panchkula will inquire that whether any compliant was received by the department during the period as mentioned in the compliant regarding illegally cutting of trees in the Morni area and what action was taken by the Forest Department, Panchkula on that compliant, if any.
2. Mining Department, Panchkula should verify/investigate whether illegal mining has taken place by breaking the mountains as alleged by the complainant in the above mentioned O.A and the mining department will investigate that whether any FIR/Complaint has been filed regarding illegal mining during the period as mentioned in the above said OA and will submit concrete report within 15 days.
3. PWD, Panchkula will inquire and submit report whether any encroachment has been done on the land belongs to the PWD, Panchkula near the morni road adjoining the land in question in the above mentions O.A.
4. Naib Tehsildar, Morni, Panchkula will verify the record regarding ownership of khasra no. 156 & 166 and inquire whether any encroachment has been done on the land as mentioned in the above mentioned OA and will submit compile report with the coordination of Forest Department, Panchkula with one week.

All concerned authorities are directed to submit their report within two week to Joint Committee, so that a compiled status report may be submitted in the Hon'ble NGT before the next date of hearing.

The meeting ended with a vote of thanks to Chair.

Sudhir (signature) **Regional Officer,** **Panchkula Region**	(signature) **Sub Divisional Magistrate,** **Panchkula**

Attendance of meeting regarding National Green Tribunal O.A. No. 378/2023- Harsh Chouhan V/s State of Haryana and Ors. under the chairmanship of W/SDM, Panchkula to be held on dated 21.08.2023 at 11:00 AM.

Sr. No.	Name of the Officer	Designation/Department	Contact No.	Signature	E-mail ID
1	Smt. Mamta Sharma	SDM, PKL			
2	Dr. Rajesh Kumar,	Mining officer	9416996189	[signature]	
3	Sudhir Mohan,	RO, HSPCB	7986423311	[signature]	
4	Pankaj	mining office	9729355176	[signature]	
5	Anita	ADFO, forest	9812094496	[signature]	
6	Anil Kamboj	SDE PWD(B&R)	9416493233	[signature]	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

Date: 22.09.2023

Time: 02.00 PM.

Site visit regarding NGT Matter-OA No. 378 of 2023 titled as Harsh Chouhan V/s State of Haryana on 22.09.2023 at 02.00 PM under the Chairmanship of worthy SDM, Panchkula

ATTENDANCE SHEET (Officers present)

Sr.No.	Name of the Officer	Designation /Department	Contact No/Email-ID	Signature
1	Mrs. Mamta Sharma	SDM PKL		—
2	Sudhir Mohan	R O, HSPCB		Sudh
3	Naresh Kumar	Junior Engineer PWD(B&R) Panchkula	8689065007	Naresh JE
4	Dr. Rajesh Kumar on behalf of Director Mining	Mining officer.	9416996189	Rajesh
5	Makhan Singh	Kgo Tilla Morni	9418344085	[illegible]
6	Gurjit Singh.	Mining officer Panchkula.	9357408807	G
7	Sanjay Junday	Dy. Range Go Forest Deptt.	9896759687	Sy.
8				

वन विभाग हरियाणा

कार्यालयः– वन राजिक अधिकारी, मोरनी

दूरभाष नं0 01733–250034 e-mail-rfomornihills@gmail.com

क्रमांकः– 434 दिनांकः– 26-09-23

सेवा में,

Regional Officer (N.G.T.)
Sec-25 Panchkula

विषय :– जमीन खसरा नं0 166 से पेड़ पौधे काटने से सम्बन्धित दरखास्त प्राप्त हुई है उक्त खसरा नं0 में वन विभाग की रिपोर्ट उपलब्ध करवाने बारे।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में जैसा कि दिनांक 22.09.2023 को **N.G.T.** टीम, राजस्व विभाग, पी0डब्लयू0डी0 विभाग व वन विभाग का संयुक्त मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के दौरान **N.G.T.** टीम द्वारा जमीन खसरा नं0 166 से पौधे काटने से सम्बन्धित की गई शिकायत के संदर्भ में आपको अवगत करवाया जाता है कि खसरा नं0 166 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है। जिस भूमि की फॉटोग्राफस शिकायतकर्ता ने दिखाई है वह भूमि श्री कुलजिन्द्र मोहन की निजी भूमि खसरा नं0 156 है जिसमें कुलजिन्द्र मोहन द्वारा वर्ष 2018 में तार पिल्लर व गेट लगा कर कब्जा किया हुआ है जहां तक पेड़–पौधे कांटने व माईनिन्ग की शिकायत है तो कुलजिन्द्र मोहन द्वारा अपनी निजी भूमि के क्षेत्र को अपने निजी स्तर पर समतल करने के लिये वहाँ पर मिट्टी डाली गई है। जिसमें छोटी झाड़िया, लैन्टेना आदि दब गये है, उस स्थान पर कोई भी बड़ा वृक्ष नहीं था। जो भी बड़ा वृक्ष था वह मौके पर खड़ा है। श्री कुलजिन्द्र मोहन द्वारा अपनी निजी भूमि पर कोई नजायज कटाई व माईनिन्ग नहीं की गई है। रिपोर्ट आपकी सेवा में सूचनार्थ प्रेषित है।

Vikash
वन राजिक अधिकारी,
मोरनी।

क्रमांक :– दिनांक :–

एक प्रति वन मण्डल अधिकारी मोरनी–पिंजौर को सूचनार्थ प्रेषित है।

वन राजिक अधिकारी,
मोरनी।

वन विभाग हरियाणा सरकार

कार्यालय :–वन मण्डल अधिकारी, मोरनी पिंजौर वन मण्डल, पिंजौर
वन परिसर पिंजौर, दूरभाष / फैक्स नं0 01733–230537
e-mail-dfomorni@gmail.com

क्रमांकः– 7821 दिनांकः– 29-09-2023

सेवा में:–

Regional Officer,
HSPCB, Panchkula

विषयः– **Report regarding National Green Tribunal OA No. 378/2023- Harsh Chouhan V/s State of Haryana and Ors..**

संदर्भ:– आपके कार्यालय पत्र क0 **HSPCB/PKL/2023/1082-86** दिनांक 22.09.2023

संदर्भांकित पत्र के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि वन राजिक अधिकारी, मोरनी ने उनके पत्र क0 434 दिनांक 26.09.2023 द्वारा रिपोर्ट भेजी है कि दिनांक 22.09.2023 को प्रदूषण कन्ट्रोल विभाग, राजस्व विभाग, पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग व वन विभाग द्वारा संयुक्त मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के उपरांत जमीन खसरा नं0 166 से पौधे काटने से सम्बन्धित की गई शिकायत के संदर्भ में अवगत करवाया है कि खसरा नं0 166 राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। जिस भूमि के फोटोग्राफस शिकायतकर्ता ने दिखाई हैं वह भूमि श्री कुलजिन्द्र मोहन की निजी भूमि खसरा नं0 156 है। जिसमें कुलजिन्द्र द्वारा वर्ष 2018 में तार–बाड़, पिल्लर व गेट लगाकर कब्जा किया हुआ है। जहां तक पेड़ काटने व खनन की बात है तो कुलजिन्द्र मोहन द्वारा अपनी निजी भूमि के क्षेत्र को अपने निजी स्तर पर समतल करने के लिये वहां पर मिट्टी डाली गई है। जिसमें छोटी झाड़िया व लैन्टेना आदि दब गये हैं, मौके पर कोई बड़ा वृक्ष नही था। जो भी बड़ा वृक्ष था वह मौके पर खड़ा है। श्री कुलजिन्द्र मोहन द्वारा अपनी निजी कोई अवैध कटान या खनन नही किया गया है।

इसके अतिरिक्त उक्त शिकायत से सम्बन्धित भूमि खसरा नं0 156 व 166, भोज जब्याल के सम्बन्ध में श्री आनन्द रावल द्वारा भी शिकायतें की गई हैं। श्री आनन्द रावल द्वारा सी0एम0 विन्डो **CMOFF/N/2018/029010, CMOFF/N/2019/029619, CMOFF/N/2019/112096, CMOFF/N/2020 /053819, CMOFF/N/2022/106186, CMOFF/N/2022/106177** की गई हैं। जिनमें **CMOFF/N/2018/029010** की जांच श्री वेद प्रकाश, ह0व0से0, तत्कालीन अति0 वन मण्डल अधिकारी, मोरनी–पिंजौर द्वारा की गई थी। उनकी जांच रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्र क0 1599 दिनांक 28.08.2018 (प्रति संलग्न) द्वारा वन संरक्षक, उतरी परिमण्डल, अम्बाला को भेजी गई थी। उक्त जांच में निर्ष्कष दिया गया था कि "खसरा नं0 166 पर वन विभाग हरियाणा की मलकीयत है। जोकि मोरनी टिक्कर ताल रोड़ के साथ लगती है। जबकि खसरा नं0 156 पर भूमि किस्म खील व मौजूदा मकानों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि खसरा नं0 156 की भूमि सड़क से लगभग 92 फूट दूर उपस्थित है। शिकायतकर्ता ने शिकायत में जो आरोप लगाये हैं उनकी पुष्टि की जाती है" ।

इसके अतिरिक्त श्री आनन्द रावल द्वारा की गई सी0एम0 विन्डो **CMOFF/N/2019/029619** की जांच (प्रति संलग्न) श्री सुरजभान, ह0व0से0, तत्कालीन वन मण्डल अधिकारी, यमुनानगर द्वारा की गई थी। जिसमें जांच अधिकारी द्वारा खसरा नं0 156 व 166 की पुनः निशानदेही करवाने बारे सुझाव दिया था।

इसके अतिरिक्त नायब तहसीलदार, मोरनी ने उनके पत्र क0 480–81 दिनांक 25.09.2023 द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजी है कि रिकार्ड जमाबन्दी वर्ष 2021–22 भोज जबयाल बास मोरनी में खसरा नं0 166 दर्ज नही है। खसरा नं0 166 रजिस्टर खसरा गिरदावरी फसल सावनी 2020 तक दर्ज था परन्तु इसके उपरांत आमदा आदेश कलैक्टर, पंचकूला दिनांक 01.09.2020 पत्र क0 2317–23 एस0के0 दिनांक 07.09.2020 अनुसार खसरा नं0 166 भोज जबयाल बास मोरनी बरूवै रपट रोजनामचा वाक्याती नं0 20 दिनांक 16.09.2020 अनुसार उक्त नं0 खसरा गिरदावरी रजिस्टर से भी कलमजन हो चूका है और यह खसरा नं0 मसावी व अक्स सिजरा में भी दर्ज नही है।

for Anita ADFO

वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी–पिंजौर वन मण्डल,
पिंजौर।

29/9/2023 29/9/23

पृ0क0 7822 दिनांकः 29-09-2023

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, मोरनी को उनके पत्र क0 434 दिनांक 26.09.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एंव आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

for Anita ADFO

वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी–पिंजौर वन मण्डल,
पिंजौर।

29/9/23
29/9/2023

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– वन मण्डल अधिकारी, मोरनी पिंजौर वन मण्डल, पिंजौर
वन परिसर पिंजौर, दूरभाष/फैक्स नं0 01733–230537
e-mail-dfomorni@gmail.com & dfo.pjr-hry@nic.in

क्रमांकः– 1599 दिनांकः– 28-8-18

सेवा में:–

वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल,
कम्पनी बाग, अम्बाला।

विषयः– **Complaint/grievances by Sh. Anand Rawal received through CM Grievances Redress & Monitoring System, Haryana: CMOFF/N/2018/029010 dated 15-03-2018**

****

P/219

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 53 दिनांक 14.08.2018 द्वारा श्री वेदप्रकाश ह0व0से0, अति0 वन मण्डल अधिकारी मोरनी वन मण्डल को उक्त शिकायत की जांच करने हेतू जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। श्री वेदप्रकाश, ह0व0से0 जांच अधिकारी द्वारा उक्त शिकायत की जांच करने उपरानत रिपोर्ट दी गई है कि उनके द्वारा दूरभाष पर शिकायतकर्ता श्री आनन्द रावल को अपने ब्यान दर्ज करवाने हेतु शिकायतकर्ता को अपना पक्ष लिखित में रखने बारे बुलाया गया। शिकायतकर्ता ने दिनांक 23.08.2018 के द्वारा अपना लिखित जबाव प्रस्तुत किया है।

श्री वेदप्रकाश ह0व0से0, अति0 वन मण्डल अधिकारी मोरनी वन मण्डल एवं जांच अधिकारी द्वारा इस कार्यालय में उपलब्ध समस्त रिकार्ड का अवलोकन किया गया व शिकायतकर्ता के जबाव को मध्यनजर रखते हुए निम्न रिपोर्ट दी है:-

1. भोज जबियाल तहसील मोरनी का खसरा न0 156 निजी मालिको की मलकियत का है व इस नम्बर खसरा में 1937-38 से काश्तकार विद्यादेवी आदि का परिवार ही पुशतनी तौर पर काशत करता आ रहा है जोकि खसरा न0 156 9 बिघे का रकबा है जिसमें 8 बिघे 18 बिसवे भूमि की किस्म खील व 0-2 बिस्से गैर मुमकिन दो कच्चे मकान काफी पुराने बने हुये है और वर्ष 2016 से पूर्व की रजिस्ट्रीरीयों व रजिस्ट्रीयों के साथ लगाई गई पटवारी व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार खसरा न0 156 सडक से काफी निचे दो कच्चे मकानो के साथ स्थित है व खसरा न0 156 की वर्ष 2008 व 2013 से पूर्व की निशानदेही रिपोर्टो में यह नम्बर सडक से क्रमश 83 व 92 फुट की दुरी पर स्थित है।

2. खसरा न0 156 का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में खसरा गिरदावरी रजिस्ट्रर में वर्ष 1986-87 से पूर्व चला आ रहा है जिसमें मालिक प्रदेश सरकार वन विभाग है व कब्जा व काशत काश्तकार विद्यादेवी आदि का परिवार का राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है और मौके अनुसार भी काश्तकार विद्यादेवी आदि का परिवार का कब्जा चला आ रहा है । व इसकी भूमि किस्म ओबड दोयम की है जोकि किस्म अनुसार व मौक अनुसार मोरनी टीकरताल रोड के साथ लगता है ।

3. दिनांक 18/08/2016 को तहसील कार्यालय मोरनी द्वारा एक रजिस्ट्ररी खसरा न0 156 की करवाकर भूमि का कब्जा मोरनी टीकरताल सडक के साथ राजस्व विभाग के कर्मचारी व अधिकारीयों के द्वारा दिखाया गया है। जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। यह कार्यवाही इसलिए अमल में लाई गई क्योकि मोरनी क्षेत्र में चकबन्धी नहीं है।

4. पुलिस विभाग पंचकुला के ए0सी0पी0 की रिपोर्ट दिनांक 20/09/2016 पत्र क्रमांक 810 के सम्बध में जांच रिपोर्ट के आधार पर चण्डी मन्दिर पुलिस स्टेशन द्वारा राजस्व विभाग के कर्मचारी व अधिकारी व क्रेता, विक्रेता व अन्य शामिल व्यक्तियों के खिलाफ 420, 406, 120बी0 के अर्न्तगत एफ0आई0आर0 न0 246 दिनांक 06/09/2017 दर्ज की गई ।

5. पंचकुला विजिलैंस विभाग द्वारा जांच क्रमांक 08/16 में पाया गया कि राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारी व अन्य व्यक्तियों द्वारा मिली भगत करके नाजायज कब्जा करने के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की सिफारिश की गई ।

6. खसरा न0 156 की निशानदेही उपायुक्त महोदय पंचकुला के दिशा निर्देश अनुसार उप मण्डल अधिकारी(ना0) पंचकुला की अध्यक्षता में अन्य टीम मैम्बर डी0आर0ओ0 पंचकुला, तहसीलदार रायेपुररानी आदि अन्य कर्मचारी व अधिकारीयों की मौजुदगी में किया जाये ।

7. उपायुक्त महोदय, पंचकुला द्वारा नियुक्त निशानदेही टीम के अध्यक्ष उप मण्डल अधिकारी(ना0) पंचकुला की डियूटी लगाई गई परन्तु निशानदेही उप मण्डल अधिकारी द्वारा नही करवाई गई। इसके स्थान पर बिना आदेश के निशानदेही दिनांक 27.12.2017 को काननूगों श्री रणबीर देशवाल द्वारा निशानदेही की रिपोर्ट तैयार की गई व दिनांक 17.07.2018 को यह निशानदेही रिपोर्ट सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार मोरनी द्वारा तस्दीक कर दी गई। जोकि उपायुक्त महोदय, पंचकूला के आदेशों के विरूद्ध निशानदेही तस्दीक की गई है। नियामानुसार यह निशानदेही केवल उप मण्डल अधिकारी (ना0) पंचकूला ही अपनी अध्यक्षता में पूरी करवा सकते थे। जिसमें पूरी टीम का शामिल होना जरूरी था। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निशानदेही दिनांक 27.12.2017 को उपायुक्त पंचकला द्वारा जो एतराज लगाए थे उनकी पुष्टि तत्तकालीन तहसीलदार रायेपुररानी द्वारा कर दी गई है। अतः निशानदेही दिनांक

27.12.2017 की निशानदेही कानून के नजर में शून्य है। यह निशानदेही केवल वन भूमि खसरा नं0 166 पर अवैध कब्जा की नियत से की गई थी।

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर से यह स्पष्ट है कि खसरा नं0 166 पर वन विभाग हरियाणा की मलकियत है। जोकि मोरनी टिक्कर ताल रोड़ के साथ लगती भूमि है। जबकि खसरा नं 156 पर भूमि किस्म खील व मौजूदा मकानों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि खसरा नं0 156 की भूमि सड़क से लगभग 92 फुट दूर उपस्थिति है। शिकायतकर्ता ने शिकायत में जो आरोप लगाए है उनकी पुष्टि की जाती है व इस जांच से सम्बन्धित रिपोर्ट पुलिस उपायुक्त पंचकूला को भी प्रेषित की जानी बनती है, ताकि लम्बित एफ0आई0आर0 पर कार्यवाही अमल में जा सके। अतः जांच रिपोर्ट पुलिस उपायुक्त पंचकूला को आगामी कार्यावाही हेतु प्रेषित है।

निम्नहस्ताक्षरी श्री वेदप्रकाश ह0व0से0, अति0 वन मण्डल अधिकारी मोरनी वन मण्डल एवं जांच अधिकारी की उक्त रिपोर्ट से सहमत है। अतः ए0टी0आर0 प्रोफार्मा जांच रिपोर्ट की प्रति व शिकायतकर्ता के लिखित ब्यान की प्रति आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी पिंजौर वन मण्डल,
पिंजौर।
27/8/18

पृ0 क्रमांकः- 1600 दिनांकः- 28-8-18

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, मोरनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी पिंजौर वन मण्डल,
पिंजौर।
27/8/18

वन विभाग हरियाणा

कार्यालय : वन मण्डल अधिकारी, यमुनानगर वन मण्डल यमुनानगर ।

दूरभाष न0 01732-237821

क्रमांक / 1505 दिनांक 09-07-2019

सेवा में

वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी पिजौर ।

विषय **Complaint /Grievances by Sh. Anand Rawal received through CM Grievances Redress and monitoring System Haryana** CMOFF/N/2019/029619 dt 12-03-2019

संदर्भ वन संरक्षक उत्तरी का पत्र कमांक 7618 दिनांक 19.03.2019 ।

उपरोक्त विषय पर संदर्भाकिंत पत्र द्वारा निम्नहस्ताक्षरी को श्री आन्नद रावल द्वारा की गई शिकायत की जांच करने के लिये जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था । निम्नहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 24.06.2019 को उक्त शिकायत की जांच की गई । जांच रिपोर्ट आपको संलग्न भेजते हुए अनुरोध किया जाता है कि आप जांच रिपोर्ट अनुसार ए0टी0आर0 तैयार करके विशिष्ट नागरिक के हस्ताक्षर करवाकर शिकायत पर आगामी कार्यवाही अमल में लाये ।

संलग्न जांच रिपोर्ट

1548
12/7/19

वन मण्डल अधिकारी
यमुनानगर ।

पृ0 कमांक दिनांक

एक प्रति वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला को उनके पत्र कमांक 7618 दिनांक 19.3.2019 के संदर्भ में जांच रिपोर्ट की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

वन मण्डल अधिकारी
यमुनानगर ।

Road, Par Lagta Diya Gaya Hai" mentioned in sale deed dated 18-8-2016 are illegal, null and void and hereby set aside and the same are not binding upon the rights of the plaintiffs. Further, defendants no. 1 to 7 are directed to demarcate the land comprised in khasa no. 156 and khasa no. 166 situated at village Bhoj Jabyal, Sub Tehsil Morni, District Panchkula, as per actual position of the land at the spot. Further, defendant no. 9 is hereby restrained from dispossessing the plaintiffs from the suit land illegally and forcibly and from raising any sort of construction over the land comprised in Khasra no. 156 and khasra no. 166 situated at village Bhoj Jabyal, Teh. & District Panchkula. Decree sheet be prepared accordingly. File be consigned to record room after due compliance" अनुसार बाद की (14.05.2016) निशानदेही की रिपोर्ट लागू नही होती है, तथा माननीय न्यायालय द्वारा खसरां नं0 156 व नं0 166 की मौका की स्थिति बारे पुनः निशानदेही के निर्देश दिए है। दिनांक 27.12.2017 को कानुनगो द्वारा की गई निशानदेही को उपायुक्त पंचकुला आदेशो के विरूद्ध मानते हुए निरस्त कर दिया गया है । माननीय Addl.Civil Judge (Sr.Divn.) पंचकुला श्री कवंल कुमार के न्यायालय ने दिनांक 14.5.2016 की निशानदेही को Set aside करते हुए पुनः सीमांकन करने के आदेश जारी किए है।

उपरोक्त तथ्यों व उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि माननीय कोर्ट पंचकुला तथा उपायुक्त पंचकुला ने माना है कि उक्त खसरां नं0 156 व नं0 166 की पुनः निशानदेही करवाई जाये । निशानदेही उपरान्त यदि भूमि वन विभाग की निकलती है तो उसे कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही की जाये । वन मण्डल अधिकारी, मोरनी पिंजौर वन मण्डल, पिंजौर उपरोक्त विवरण अनुसार ए0टी0आर0 बनाकर विशिष्ट नागरिक के हस्ताक्षर सहित सी0एम0 विण्डो वैब पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें ।

जांच अधिकारी, 09/07
वन मण्डल अधिकारी,
यमुनानगर।

जांच रिपोर्ट

वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, हरियाणा अम्बाला ने अपने पत्र कंमाक 7618 दिनांक 19.03.2019 द्वारा वन मण्डल अधिकारी यमुनानगर को Complaint/ Grievances of Sh. Anand Rawal द्वारा की गई सी0एम0 विन्डो शिकायत नं0 CMOFF/N/2019/029619 Dated 12-03-2019 की जांच करने हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया है। निम्नहस्ताक्षरी द्वारा उक्त शिकायत की जांच मण्डल कार्यालय मोरनी पिजौंर मे दिनांक 02.05.2019 बाद दोपहर 2:00 बजे रखी गई थी जिस बारे में शिकायतकर्ता श्री आंन्नद रावल, गांव कोहड, जिला करनाल को वन मण्डल अधिकारी यमुनानगर के कार्यालय के पत्र कमांक 310 दिनांक 30.04.2019 द्वारा सूचित किया गया था । परन्तु शिकायतकर्ता 02.05.2019 को जांच मे हाजिर नही हुआ। तदोपरान्त वन मण्डल अधिकारी यमुनानगर के कार्यालय के पत्र कमांक 524 दिनांक 20.05.2019 द्वारा पुनः जांच रखी गई। उक्त जांच मे शिकायतकर्ता को दिनांक 24.05.2019 को सुबह 11:00 बजे मण्डल कार्यालय पिजौंर मे हाजिर होने बारे लिखा गया।

निम्नहस्ताक्षरी द्वारा उक्त शिकायत की जांच दिनांक 24.05.2019 को पिजौंर कार्यालय में की गई । मोरनी पिजौर वन मण्डल कार्यालय मे उपलब्ध समस्त रिकार्ड का अवलोकन करने व मौका निरीक्षण तथा शिकायतकर्ता द्वारा जो रिकार्ड उपलब्ध करवाया गया उसके अनुसार जांच की गई और जांच रिपोर्ट निम्न प्रकार है :-

गांव भोज जबियाल, तहसील मोरनी का खसरा नं0 156 निजि या मालिकों की मलकीयत है व इस खसरा न0 मे 1937-38 से कास्तकार विद्या देवी आदि का परिवार है जोकि पुश्तैनी तौर पर काश्त करता आ रहा है । खसरा न0 156 जो 9 बीघे का रकबा है जिसमें 8 बिघे 18 बिसवे भूमि की किस्म खील व 0-2 बिसवे गैर मुमकिन दो कच्चे मकान काफी पुराने बने हुए है। श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रोशन लाल ने एक प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार मोरनी को दिया गया जिसमे उसने सडक से दूरी बताने बारे अनुरोध किया । इस प्रार्थना पत्र पर हलका पटवारी ने दिनांक 21.10.2008 को नायब तहसीलदार मोरनी को रिपोर्ट करते हुए लिखा है कि खसरा नम्बर 156 तादादी 9-0 आबादी से दूर है । श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह द्वारा 24.1.2013 को एक प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार मोरनी को दिया गया जिसमें उसने खसरा नम्बर 156 की सड़क से दूरी बताने बारे अनुरोध किया । यह प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार मोरनी ने हलका पटवारी को दिनांक 24.1.2013 में पृष्ठाकिंत कर दिया जिस पर दिनांक 22.1.2013 को हलका पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उक्त रकबा तदादी 9-0 की भूमि खील 8--18 व गै0मु0 0-2 है । श्री कणबीर सिंह पुत्र श्री आर0एस0 ठाकुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार मोरनी को दिया गया जिसमें उसने खसरा नम्बर 156 की सड़क से दूरी बताने बारे अनुरोध किया । इस प्रार्थना पत्र हलका पटवारी को दिनांक 05.03.2013 को अपनी रिपोर्ट करते हुए लिखा है कि उक्त रकबा सड़क से दूर है ।

खसरा न0 156 की वर्ष 2008 की निशान देही रिपोर्ट मे यह नम्बर सडक से 83 फुट तथा दिनांक 05.01.2013 की निशान देही रिपोर्ट मे यह खसरा नं0 सडक से 92 फुट की दूरी पर स्थित है।

खसरा न0 166 का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे खसरा गिरदावरी रजिस्टर मे 1986–87 से पूर्व चला आ रहा है जिसमे मालिक प्रदेश सरकार वन विभाग है व कब्जा व काश्तकार विद्या देवी आदि के परिवार का चला आ रहा है। इस भूमि की किस्म ओबड दोयम की है जो कि किस्म अनुसार व मौका अनुसार मोरनी–टिकरताल रोड के साथ लगता है।

उपायुक्त महोदय, पंचकुला के निर्देशानुसार खसरा न0 156 की निशानदेही करने के लिये एस0डी0एम0 (नागरिक) पंचकुला की अध्यक्षता में टीम का गठन करते हुए जिला राजस्व अधिकारी पंचकुला, तहसीलदार रायपुररानी, नायब तहसीलदार, बरवाला, नायब तहसीलदार, मोरनी व अन्य कर्मचारी अधिकारियो की मौजूदगी मे निशानदेही करने की डयूटी लगाई गई थी । परन्तु निशानदेही दिनांक 27.12.2017 को कानूनगो श्री रणबीर देशवाल द्वारा उपायुक्त पंचकुला द्वारा गठित कमेटी के बिना किसी आदेश के तथा कमेटी के मैम्बरों की गैर मौजूदगी में की गई । दिनांक 27.12.2017 को की गई निशानदेही की रिपोर्ट को सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार मोरनी द्वारा दिनांक 17.7.2018 का दफतर दाखिल कर दिया गया । क्योकि उक्त निशनदेही उपायुक्त पंचकुला के आदेशानुसार गठित कमेटी की देखरेख में की जानी थी । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिला राजस्व अधिकारी, पंचकुला ने उक्त निशानदेही को संतोषजनक न पाते हुए उक्त निशानदेही पर अपनी असहमति प्रकट की

उपरोक्त/तथ्यो से स्पष्ट है कि खसरां नं0 166 पर वन विभाग की मलकीयत है जो कि मोरनी–टिकरताल रोड़ के साथ लगती है, जबकि खसरां नं0 156 की भूमि किस्म खील व मौजूदा मकानों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि खसरां नं0 156 की भूमि सडक से लगभग 92 फुट की दूरी पर स्थित है शिकायतकर्ता ने जो शिकायत मे आरोप लगाया है उसके बारे मे पुष्टि की जाती है कि जांच से सम्बन्धित रिपोर्ट पुलिस उपायुक्त पंचकुला को भेजी जानी बनती है ताकि लम्बित एफ0आई0आर0 पर कार्यावाही हो सके। खसरां नं0 156 की पहले दो बार हो चुकी निशान देही रिपोर्ट मे, वर्ष 2008 मे यह नं0 सडक से लगभग 83 व वर्ष 2013 मे सडक से लगभग 92 फुट की दूरी पर स्थित है।

माननीय न्यायालय **Addl.Civil Judge (Sr.Divn.)** पंचकुला श्री कवंल कुमार, द्वारा दिनांक 03.01.2019 के निर्णय दिया गया है वह निम्न प्रकार से Reproduce किया जाता है "As a sequel to my finding on the above said issues, the suit of the plaintiffs succeed, hence, the same is hereby decreed with costs. It is declared that demarcation report 14-5-2016 regarding the land comprised in Khewat/khatoni no. 116/227, Khasra no. 156, situated at village Bhoj Jabyal, Sub Tehsil Morni, District Panchkula and contents qua delivery of vacant possession i.e. "Khali Kabja Mauka Par Kharidar Ko Morni Tikkar Taal

To

The Director,
Mines and Geology Deptt., Haryana,
Panchkula Hon'ble

Memo No. Dated:

Subject: Site Visit regarding Hon'ble NGT O.A No 378/2023 titled as Harsh Chouhan V/s State of Haryana and others.

In reference of your order letter No. DMG/HY/O.A No. 378/2023/4595 dated Panchkula the 14.08.2023.

On the subject and order noted above, I was appointed by you as a member of joint committee with direction to coordinate with H.S.P.C.B. for fixation of early meeting with the joint committee to prepare and submit the inspection report on behalf of above mentioned O.A. Accordingly meeting was conducted on 21.08.2023 under the chairmanship of SDM Panchkula and it was decided that inspection of the site should be done by the committee members and submit the inspection report for further necessary action.

Accordingly the site was visited with M.O. Sh Gurjeet Singh and MI Sh Atul of Panchkula District on dated 22.09.2023. During inspection no illegal mining has been found on the site as per complaint and MO Panchkula also told that as per office record no complaint was sent by the, then M.O. of District Panchkula regarding illegal mining concerned with this site.

Enclosed: 1. Minutes of meeting dated 21.08.2023
2. Photographs of the site.

sd

(Dr. Rajesh Kumar)
Mining Officer, H.Q
for Director, Mines & Geology Deptt.
Haryana Panchkula

Endst. No. Mining/PKL/ 5626 Dated: 27/09/23

A Copy is forwarded to the following for further necrssary action please.

1. Sub Divisional Magistrate (C), Panchkula
2. Regional Officer, HSPCB, Panchkula

Sehrawat

(Dr. Rajesh Kumar)
Mining Officer, H.Q
for Director, Mines & Geology Deptt.
Haryana Panchkula

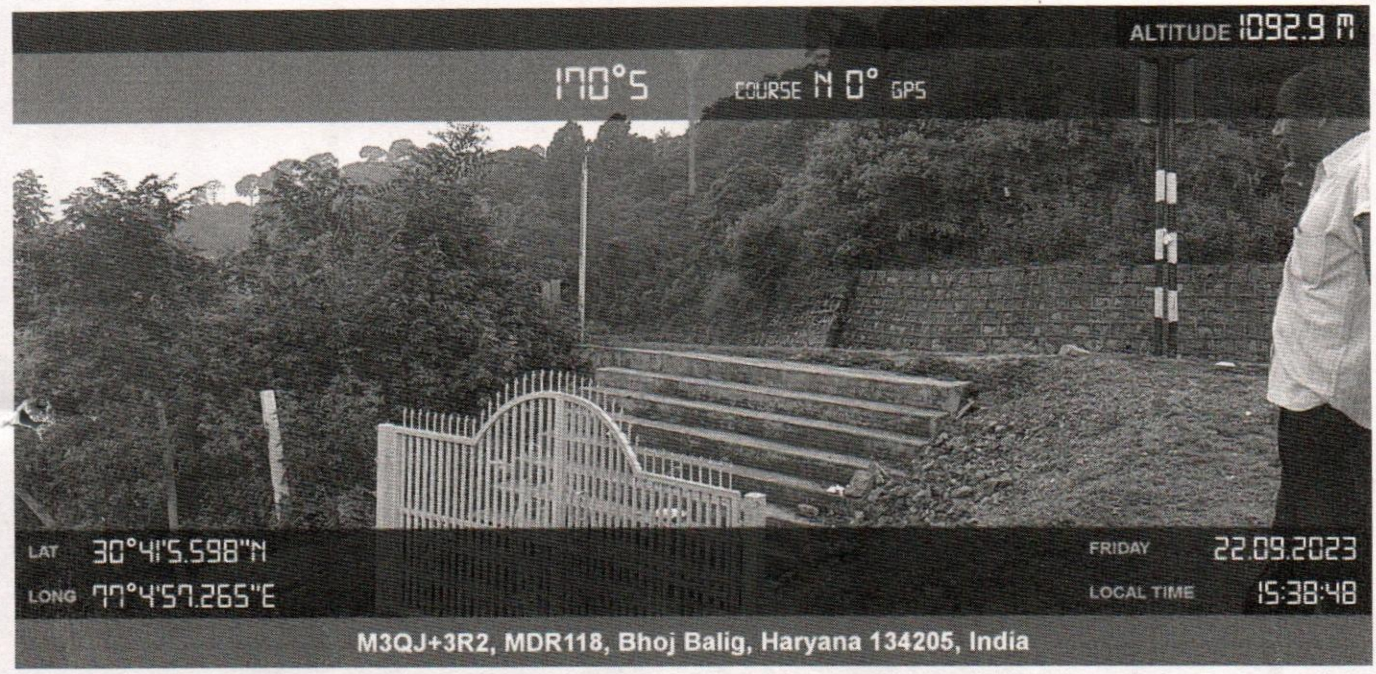
ALTITUDE 1092.9 m
170°S
COURSE N 0° GPS
LAT 30°41'5.598"N
LONG 77°4'57.265"E
FRIDAY 22.09.2023
LOCAL TIME 15:38:48
M3QJ+3R2, MDR118, Bhoj Balig, Haryana 134205, India

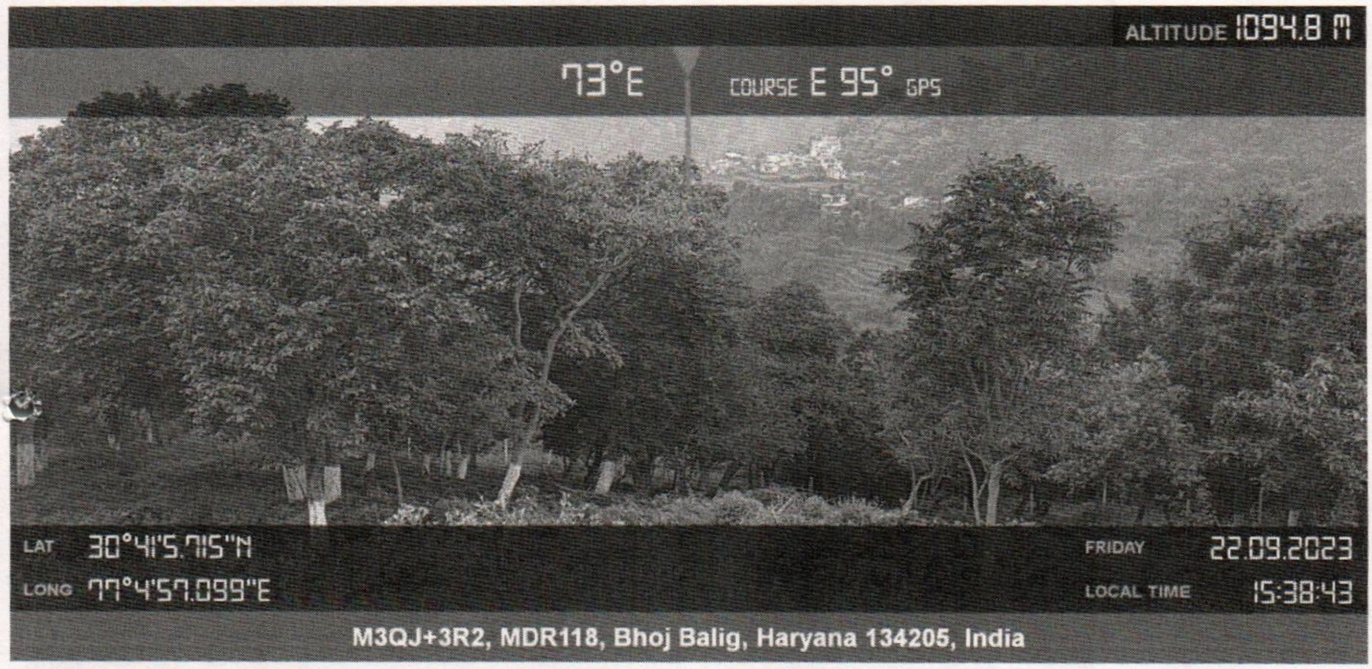
ALTITUDE 1094.8 m
73°E
COURSE E 95° GPS
LAT 30°41'5.715"N
LONG 77°4'57.099"E
FRIDAY 22.09.2023
LOCAL TIME 15:38:43
M3QJ+3R2, MDR118, Bhoj Balig, Haryana 134205, India

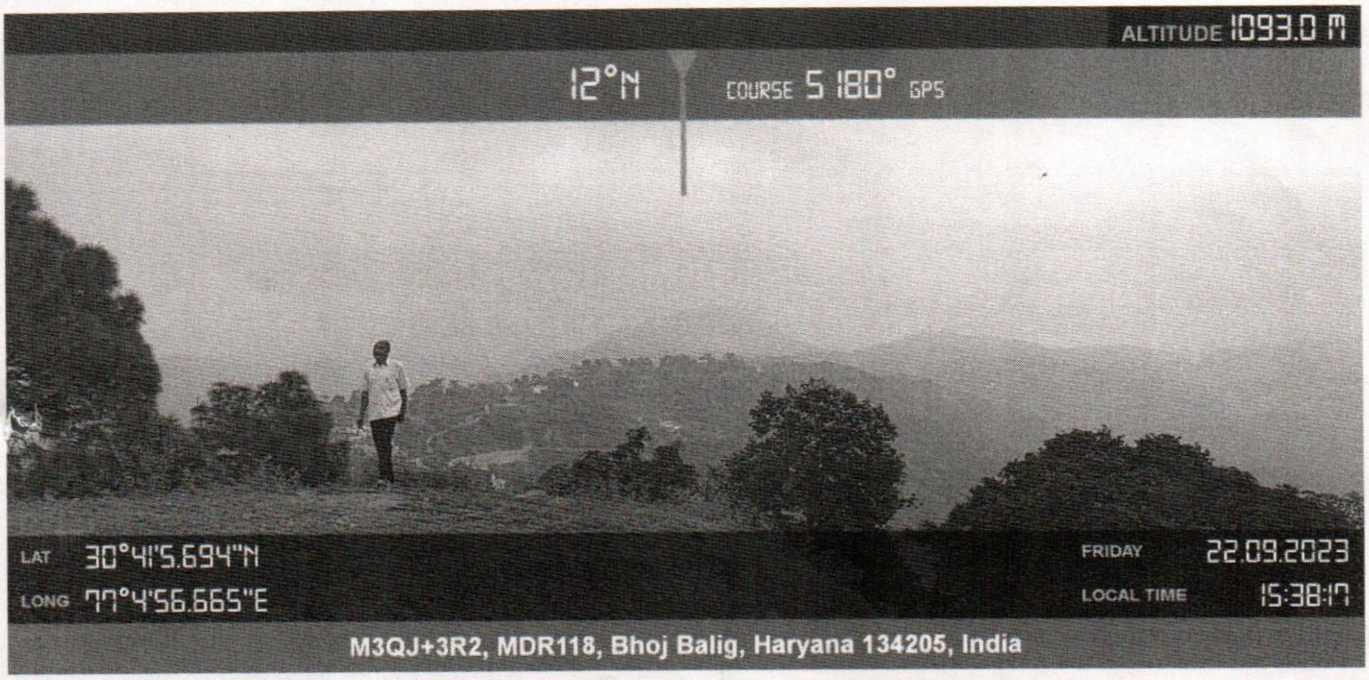
ALTITUDE 1093.0 M
12°N
COURSE S 180° GPS
LAT 30°41'5.694"N
LONG 77°4'56.665"E
FRIDAY 22.09.2023
LOCAL TIME 15:38:17
M3QJ+3R2, MDR118, Bhoj Balig, Haryana 134205, India

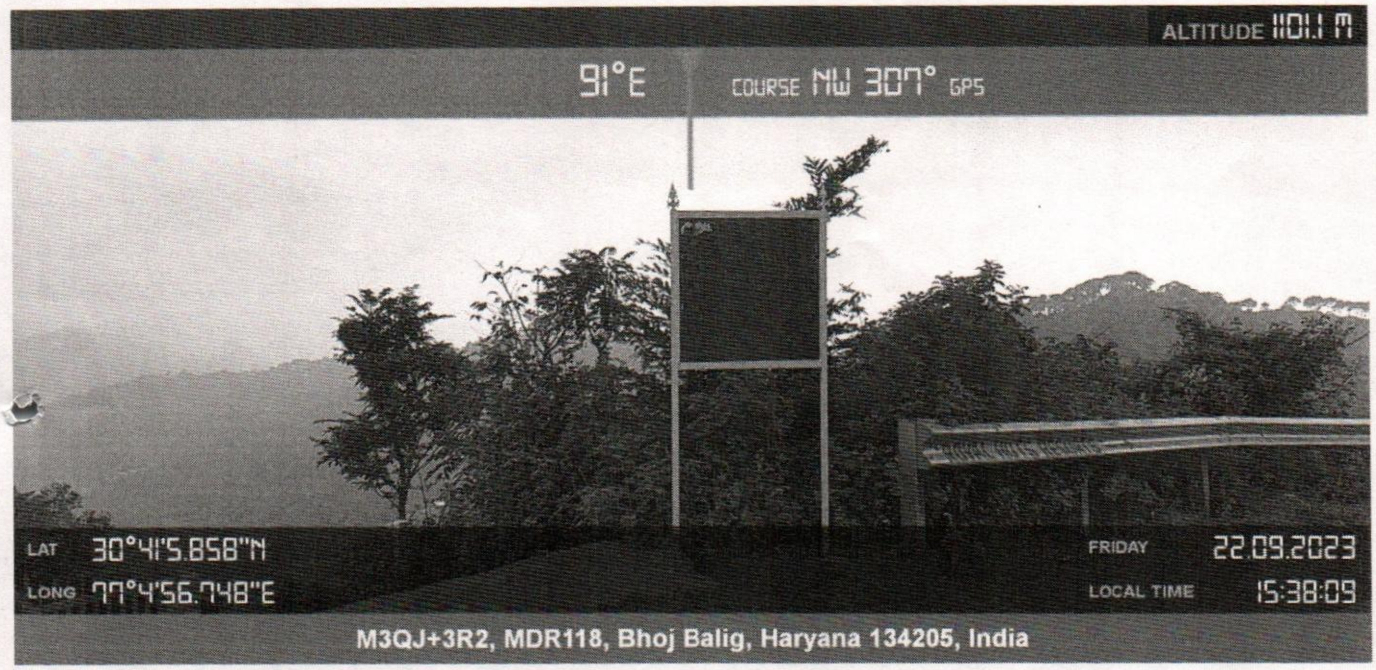
ALTITUDE 1101.1 M
91°E
COURSE NW 307° GPS
LAT 30°41'5.858"N
LONG 77°4'56.748"E
FRIDAY 22.09.2023
LOCAL TIME 15:38:09
M3QJ+3R2, MDR118, Bhoj Balig, Haryana 134205, India

प्रेषक

नायब तहसीलदार,

मोरनी।

सेवा में

Regional Officer,
Panchkula Region.

क्रमांक 485 रिडर/दिनांक 26|09|2023

विषयः- **Meeting regarding National Green Tribunal OA .NO.378/2023-Harash Chouhan V/s State of Haryana and Ors.**

उपरोक्त विषय बारे आपकी सेवा में भेजकर अनुरोध है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 479 डर/दिनांक 25.09.2023 की निरन्तरता मे पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई । जिस अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी वर्ष 2021-22 भौज जब्याल बास मोरनी मे खसरा न0 166 दर्ज ना है। खसरा न0 166 रजिस्टर खसरा गिरदावरी फसल सावनी 2020 तक दर्ज था परन्तु इसके उपरान्त आमदा आदेश कलैक्टर पंचकूला, दिनांक 01-09-2020, पत्र क्रमांक 2317-23, एस.के. दिनांक 07-09-2020 अनुसार खसरा न0 166 भौज जब्याल बास मोरनी बरुवै रपट रोजनामंचा वाक्याती न0 25, दिनांक 16-09-2020 अनुसार उक्त न0 खसरा गिरदावरी रजिस्टर से भी कलमजन (निरसत) हो चूका है और यह खसरा न0 मसावी व अक्स सिजरा मे भी दर्ज ना है।

खसरा न0 156 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी वर्ष 2021-22 भौज जब्याल में खेवट न0 120 में दर्ज है जोकि मालकान की अपनी निजी भूमि है। जिसकी नकल जमाबन्दी साथ सलग्न कर आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

साथ सलग्नः-

नायब तहसीलदार
मोरनी।

पृ0 क्रमांक 486-487 रिडर/दिनांक 26|09|2023

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. उपायुक्त पंचकूला।
2. वन मण्डल अधिकारी मोरनी पिन्जौर वन मण्डल पिन्जौर ।

नायब तहसीलदार
मोरनी।

083202300003820

नक़ल जमाबंदी (पड़त पटवार)

गॉव : भोज जबयाल हदबस्त न. : 324 जिला : पंचकुला तहसील : मोरनी साल : 2021-2022

1 खेवट या जमाबंदी न.	2 खतौनी न.	3 नाम तरफ या पत्ती	4 विवरण सहित मालिक नाम	5 विवरण सहित काश्तकार	6 कुंए या सिंचाई के अन्य साधन का नाम	7 नम्बर खसरा या मुरब्बे और किले का नम्बर	8 रकबा और किस्म जमीन	9 दर और संख्या के ब्यौरे के साथ लगान जो मुजारा देता है	10 हिस्सा या हकीयत का पैमाना और बाछ का ढंग	11 अभियुक्ति
120	233	बास मोरनी	विकास पुत्र	मसीया,		156	9-0 कुल		कब्ज़ा	1184 बैय नजरशानी
//			सुखदेव पुत्र	तेजा,			8-18 गै. मु.		पड़ता बशरह	1573 बैय
									खेवट	
120			कांशी राम	सावण राम,			खील		न.1	नोट Status Quo-
			1/45 भाग	ईन्द्र सिह,			0-2 गै. मु.			आमदा आदेश नायब तहसीलदार
			बलबीर कुमार पुत्र	दर्शण लाल,			मकान			मोरनी तिथि 15.3.2018 व
			सूरता राम पुत्र	राम सरूप पुत्रान						In The Court Of Dr.
			रुलिया राम	बालक राम पुत्र						Smt. Savita Kumari
			2/45 भाग	छज्जू						ACJ (SD) JMIC/RC
			दलजीत सिह पुत्र	हर छः समभाग						Pkl अनुसार सोम दत्त व
			मोहिन्द्र कौर पत्नी	1/3 भाग						गुरमीत निवासी मोरनी बनाम
			रणजोध सिह	गैर मौरूसीयान						हरियाणा राज्य मुकदमा न-
			1/180 भाग	फूल चन्द पुत्र						C/S -1087/16 अनुसार
			कान्ता बिधवा व	सुन्दर पुत्र						नम्बर खसरा 156 गांव
			मुकुल पुत्र	छज्जू						मोरनी (भोज जब्याल) पर
			नरेश कुमार पुत्र	1/6 भाग						आगामी आदेश तक
			राम स्वरुप	गैर मौरूसी						Status Quo जारी रहेगी
			हर दो समभाग	जगदीश पुत्र						रपट न- 264 तिथि 24.3.20
			1/45 भाग	खरैती पुत्र						1759 विरासत
			राजीव कुमार पुत्र	1/90 भाग						
			राममूर्ती पुत्र	गैर मौरूसी						
			1/15 भाग	विनोद कुमार पुत्र						
			विनोद कुमार पुत्र	रौशन लाल पुत्र						
			रोशल लाल पुत्र	10/180 भाग						
			कृपा राम	गैर मौरूसी						
			1/6 भाग	विनोद कुमार पुत्र						

नकल मुताबिक असल है। नकल हस्ब खुवाहिश श्री/श्रीमती.....[illegible]......के पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..........................नकल नाम तैयार कर के दी गई है। नकल उजरत [illegible].....रु नगद वसूल हुई। नकल रपट रोजनामचा नं.............पर दर्ज की गई।

हस्ताक्षर
हल्का पटवारी
27/9/23

vide Entry/Receipt No. 083202300003820 : Dated:27-09-2023 00:00:00 Issued to : Bakar sarkar
by hemant083 from Web-Halris
eration Date : 27/09/2023 12.04 PM

नक़ल को वैरीफाई करने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

083202300003820

Digital India

नक़ल जमाबंदी (पड़त पटवार)

गाँव : भोज जबयाल हदबस्त न. : 324 जिला : पंचकुला तहसील : मोरनी साल : 2021-2022

खेवट या जमाबंदी न.	खतौनी न.	नाम तरफ या पत्ती	विवरण सहित मालिक नाम	विवरण सहित काश्तकार	कुंए या सिंचाई के अन्य साधन का नाम	नम्बर खसरा या मुरब्बे और किले का नम्बर	रक्बा और किस्म जमीन	दर और संख्या के सहित के साथ लगान जो मुजारा देता है	हिस्सा या हकीयत का पैमाना और बाछ का ढंग	अभियुक्ति
120चालू		बास मोरनी चालू	बलवन्त सिह पुत्र सुन्दर पुत्र 1/18 भाग विकास पुत्र वासुदेव पुत्र 1/180 भाग कर्णवीर सिह पुत्र आर.ऐस ठाकुर पुत्र 1/18 भाग अतुल पुत्र कैलाश चन्द पुत्र 1/18 भाग कुलजिन्द्र मोहन सिह पुत्र जोगिन्द्र सिह पुत्र 1/2 भाग वासीदेह	रौशन लाल पुत्र 58/180 भाग वासीदेह हिस्सेदार						

Annexure-R-6

HARYANA
pwd
BUILDINGS & ROADS

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

Executive Engineer,
Provincial Division,
Hr.PWD B&R Br.,
Majri Chowk, Panchkula
(Tel. No.:- 0172-2920477)
E-mail:-pwd-eepd-panchkula@hry.nic.in

F:\current letter File 16.03.2023

To

The Regional Officer,
Haryana State Pollution Control Board,
SCO 115-16, Ist Floor Sector 15,
Panchkula.

Memo No.:- 4856 Dated:- 28/9/23

Subject: - Site visit regarding National Green Tribunal O.A. No. 378/2023- Harsh Chauhan V/s State of Haryana & Others.

Ref:- Your office memo No.HSPCB/PKL/2023/1262-65 dated 20/09/2023.

As reported by the Sub Divisional Engineer concerned vide his memo No. 2073 dated 27/09/2023. The site has been inspected on dated 22/09/2023 and it has been observed that no encroachment has been made on PWD road. It relates to Forest Department

This is for your kind information please.

DA/Nil.

Executive Engineer,
Provl. Divn., Hr.PWD B&R ,
Panchkula

Endst. No.:- Dated:-

Copy is forwarded to the Sub Divisional Engineer, Provincial Sub Divn. No.I, Hr. PWD B&R Panchkula for information w.r.t. his memo No. 2073 dated 27/09/2023.

DA/Nil.

Executive Engineer,
Provl. Divn., Hr.PWD B&R ,
Panchkula